



प्रेषक
नाम रचना

कक्षा VIII
विद्यालय के. जी. वी. वी.

नगर हरनपुर

जनपद अमरौली (उत्तर प्रदेश)

सेवा में - माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
विषय - बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता क्यों है
और इसे रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए
महोदय - सादर निवेदन इस प्रकार है कि मैं के. जी. वी. वी.
की नगर हरनपुर जनपद अमरौली उत्तर प्रदेश में कक्षा VIII
की छात्रा हूँ। मेरा नाम रचना है।
आज के समय में भी हमारे देश और हमारे समाज
में बाल विवाह की बड़ी समस्या को ध्यान से रखते
हुए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निम्न निवेदन है।
कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए सरल से सरल
कानून बनवाये जाये एवं विवाह के लिए लड़की के
लिए कम से कम उम्र वर्ष एवं लड़के के लिए
कम से कम उम्र वर्ष¹⁸ होनी चाहिए ऐसा न
होने पर विवाह में शामिल होने वाली पक्षी के परिवार
रिश्तेदार एवं खाना बनाने वाली एवं दूध वाले सब्जी
व्यक्ति जो विवाह में शामिल है दण्ड के आगीदार होगा
इस प्रकार ऐसा करने में समाज में इस कुप्रथा के
प्रति अथ पैदा होगा जिससे इस कुप्रथा को अन्त
होगा।

नाम रचना
कक्षा VIII
दिनांक 10/5/2018